न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 113/2021

उनवान

1. रमेश दतक पुत्र हनुमान,
2. ओम पुत्र जेठिया,
3. लीला देवी पत्नी कालू,
4. रविशंकर,
5. रविन्द्र,
6. रज्जत,
7. रोहित पि0 कालू जाति माली नि0 राताखेडा, नसीराबाद

—— वादीगण :— अनुपस्थित

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र जोहर सिंह, जाति गुर्जर निवासी ग्राम राताखेडा, नसीराबाद
2. पिन्टू पुत्र जोहरमल,
3. दिनेश पुत्र जौहर सिंह,
4. जितेन्द्र पुत्र जौहर सिंह, जाति गुर्जर नि0 सुतरखाना, नसीराबाद,
5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 4 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी,
5 जरियें राज. पैरोकार

6. चन्द्र प्रकाश पुत्र रामेश्वरप्रसाद,
7. चुन्नीलाल पुत्र मोतीलाल,
8. रतनी पत्नी रामेश्वर,
9. सन्तोष पत्नी रामेश्वरप्रसाद,
10. छोटू पुत्र बंशी **(तर्क)**
11. कपिल उर्फ लक्ष्मीकान्त पुत्र सुजा उर्फ सुरजमल, **(तर्क)**
12. इन्दुबाला पुत्री सुजा उर्फ सुरजमल, **(तर्क)**
13. रामपाली पत्नी नरसी,
14. चन्द्रप्रकाश उर्फ जगदीश पुत्र नरसी
15. चक्का उर्फ सुमनी पुत्री नरसी,
16. जमना पुत्री नरसी,
17. माया पुत्री नरसी,
18. संतोष पुत्री नरसी, समस्त जाति माली नि0 [illegible]खेडा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 6 से 9 [illegible]
13 से 18 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 2.12.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 567 रकबा 0.21 की आराजी वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उक्त आराजी पर बलपूर्वक जबरन अतिक्रमण करते हुये निर्माण कार्य चालू कर दिया है। तथा वादीगण की खातेदारी भूमि हडपने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है। वादीगण द्वारा वाद में स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा पर उनका कब्जा नही है। प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पूर्वज मोती पुत्र लादू ने दिनांक 06.02.1985 को जरियें इकरारनामा आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 465 रकबा 1—5—10 के वंर्किग खसरा नम्बर 473 हाल खसरा नम्बर 567 रकबा 0.21 है0 की भूमि 3500/ रूपये में जवाबकर्ता के पिता जौहर सिंह पुत्र फूलाराम गुर्जर को बेचान कर दी थी। उक्त आराजी की प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पूर्वज ने कब्जा व दखल तत्समय ही जवाबकर्ता के पिता को सौप दिया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के तहत खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। जवाबकर्ता के कब्जे की जानकारी वादीगण को प्रारम्भ से ही है। जवाबकर्ता 37 वर्ष से भूमि पर काबिज होने के कारण व अपूर्ण पक्षकार होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वाद के जवाब के साथ प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के पूर्वज मोती पुत्र लादू ने यह तय किया था कि जवाबकर्ता के पिता जब भी कहेगे उनके द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जावेगा। प्रतिवादी संख्या 6 से 9 उक्त इकरारनामा से बाध्य होने के कारण जवाबकर्ता व उनकी माता ने सिविल न्यायालय, नसीराबाद में दीवानी वाद संख्या 84/2021 व प्रार्थना पत्र संख्या 73/2021 उनवान चन्द्रकला बनाम चन्द्रप्रकाश आराजी मुतनाजा के विक्रय पत्र निष्पादन के लिये पेश किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। राजस्व अभिलेख में भूमि उनके नाम होने के कारण उनके द्वारा मिथ्या व मनगढत तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पेश किया है। सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में वादीगण ने आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र पेश कर पक्षकार बनने का अनुतोष चाहा है। उक्त आवेदन पत्र में वादीगण ने आराजी मुतनाजा को अविभाजित बताते हुये जवाबकर्ता के साथ स्वयं का हिस्सा भी माना है। उक्त कथनों आधार पर वादीगण जवाबकर्ता को सहखातेदार मानते है तो सह खातेदार के विरूद्व, बेदखली व स्थायी निषेघाज्ञा का वाद पोषणीय नही है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे। जवाबकर्ता को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

प्रकरण विचारण के दौरान दिनांक 4.11.24 को वादीगण स्वयं व उनके अधिवक्ता उपस्थित नही होने के कारण वादीगण का वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। पूर्व में उनके द्वारा प्रतिदावा का जवाब पेश नही किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 से 9 भी वाद विचारण के दौरान प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या ... से 1... नाम तर्क किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का नाम दुरूस्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 से 18 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवाद के कथन वादी स्वयं साक्ष्य व दस्तावेज से सिद्व करे। प्रतिवाद पत्र की अंतिम चरण संख्या 1 से 7 स्वीकार कर वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

वादीगण का वाद पूर्व में अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावें पर निम्न तनकी कायम की गयी :–

1. आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता की विधिवत कयशुदा होने व 37 वर्षो से सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 4 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

   –– प्रतिवादी संख्या 1 से 4

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण व शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

   –– प्रतिवादी संख्या 1 से 4

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने प्रतिवाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 20 राजस्व अभिलेख व विकय पत्र, इकरारनामा, मौका रिपोर्ट, आदि पेश किये तथा प्रतिवादी जितेन्द्र के बयान करवाये।

प्रतिवादी संख्या 13 से 18 द्वारा साक्ष्य नही पेश की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागणव राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम बारापत्थर के वंर्किग खसरा नम्बर 473 रकबा 1–5–10 की आराजी वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 64/69 में बंशी व सूजा पि. काना, हनुमान पुत्र मूला, जेठिया व नरसी पि. पोखर मोती पुत्र लादू के नाम खातेदारी दर्ज थी। जिसके हाल खसरा नम्बर 567 रकबा 0.21 वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम वाद प्रस्तुत दिनाक को दर्ज थे। वादीगण ने उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 183 के तहत पेश कर वादमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कब्जा करने का कथन किया है किन्तु अनुतोष में मात्र स्थायी निषेधाज्ञा चाही थी। पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 06.02.1985 के अनुसार आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 465 रकबा 1–5–10 मोती पुत्र लादू ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता को 3500/ रूपये में भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान कर दी थी। उक्त इकरारनामा में तत्कालीन खातेदार मोती पुत्र लादू ने आराजी मुतनाजा को स्वंय की बापौती व अन्य किसी के हक व अधिकार की नही बताते हुये सम्पूर्ण रकबे का बैचान किया था तथा केता के कहने पर विकय पत्र निष्पादन करने का कथन किया है। वाद विचारण के दौरान आराजी मुतनाजा के खातेदार रामचरण, प्यारेलाल, गोरधन, छोटू पि. बंशी ने आराजी मुतना[illegible] 0.21 में आना हिस्सा **प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के भाई** चन्द्रप्रकाश पुत्र जौहर सि[illegible] कर दी है। उक्त विकय पत्र में विकेतागण द्वारा इकरारनामा के त[illegible] तत्कालीन विकेता मोती पुत्र लादू के हिस्से में बंटवारे से आना बताया गया है [illegible] पत्र में तत्समय ही जौहर सिंह पुत्र फूलाराम को कब्जा संभलाने का कथन अंकित किया है। इसी प्रकार आराजी मुतनाजा

––4

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

के खातेदार इन्दुबाला पुत्री सुरजमल उर्फ सुजा, कपिल कुमार उर्फ लक्ष्मीकान्त पुत्र सुरजमल उर्फ सुजा द्वारा भी आराजी मुतनाजा में अपना हिस्सा प्रतिवादी जितेन्द्र पुत्र जौहर सिंह को बैचान कर दिया है। उक्त विक्रेता ने भी उक्त विक्रय पत्र में विक्रेतागण द्वारा इकरारनामा के तथ्य को स्वीकार किया है तथा भूमि तत्कालीन विक्रेता मोती पुत्र लादू के हिस्से में बंटवारे से आना बताया गया है। विक्रय पत्र में तत्समय ही जौहर सिंह पुत्र फूलाराम को कब्जा संभलाने का कथन अंकित किया है। इसी प्रकार मनोहर पत्नी सत्यनारायण, सुनील, सांवरलाल, लाली पि. सत्यनारायण, कमला पत्नी विशम्भर, मीरा पुत्री विशम्भर, शीला पुत्र विशम्भर, प्रिया पत्नी माधू, लक्स पुत्र माधू, शिलोक पुत्र माधू, रिंकू पत्नी अनिल, खुशाल पुत्र अनिल, लक्षिता पुत्री अनिल द्वारा भी उक्त आराजी में अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 दिनेश गुर्जर पुत्र जोहर सिंह को बैचान कर दिया है। उक्त विक्रय पत्र में भी विक्रेतागण द्वारा इकरारनामा के तथ्य को स्वीकार किया है तथा भूमि तत्कालीन विक्रेता मोती पुत्र लादू के हिस्से में बंटवारे से आना बताया गया है। विक्रय पत्र में तत्समय ही जौहर सिंह पुत्र फूलाराम को कब्जा संभलाने का कथन अंकित किया है। हाल जमाबंदी में अन्य सह खातेदार के साथ जेठिया व नरसी पि. पोखर का नाम जमाबंदी में दर्ज है। उक्त दोनो खातेदार की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है किन्तु उनकी विरासत से भूमि वादीगण/वारिसान के नाम दर्ज नही की गयी, जबकि नामान्करण संख्या 33 में अन्य आराजी पर जेठिया व नरसी पि. पोखर की विरासत दिनांक 17.12.1988 को ही दर्ज हो गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत समस्त खसरा गिरदावरी में मोती पुत्र लादू वगै. का नाम ही दर्ज है। भू अभिलेख निरीक्षक देराठू के दिनांक 3.9.21 की रिपोर्ट से भी कब्जा 35 वर्षा से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व उनके परिवाजन का ही बताया गया है। जनसुनवाई श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर को भी भू अभिलेख निरीक्षक देराठू के दिनांक 11.9.21 की रिपोर्ट से भी कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का ही बताया है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता ने उक्त आराजी मोती पुत्र लादू से सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया था। मौके पर भूमि मोती पुत्र लादू के हिस्से व विभाजन में आने के कारण उसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बैचान किया गया किन्तु राजस्व अभिलेख में अन्य सह खातेदार का भी नाम दर्ज है। उक्त सह खातेदार में से कुछ खातेदार द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में भूमि का विक्रय किया जा चुका है। उक्त खातेदार को वादीगण द्वारा पूर्व में पक्षकार नही बनाया है। वादीगण के नाम दर्ज आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 इकरारनामा व लगातार कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहते है। किन्तु इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने इस बाबत पृथक से सिविल न्यायालय में पूर्व में वाद पेश किया जा चुका है। जिसका निर्णय उक्त न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व उनके परिवाजन का कब्जा पूर्व से है, किन्तु प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः तनकी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 2 :–</u>

तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन का कब्जा है। साथ ही वे इकरारनामा व प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त नही कर सकते है। उनके द्वारा सिविल न्यायालय में इकरारानामा के आधार पर विक्रय पत्र निष्पादन का वाद पेश किया है। अतः बिना खातेदारी प्राप्त किये उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी हाजा न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

—5

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 567 रकबा 0.21 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रमेश बनाम भंवरलाल

दावा बाबत :–188, 183 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 113/2021
पेश करने की दिनांक –– 06.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 567 रकबा 0.21 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 12 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.04 11:34:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद